-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2020 में थाना बबेरु क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना बबेरु क्षेत्र अन्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 16.11.2020 को जनपद फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले सनी निषाद पुत्र कृष्णा केवट द्वारा थाना बबेरु क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर पर थाना बबेरु पर **मु0अ0सं0 310/22 धारा 363/366/376/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना **उ0नि0 श्री चन्द्रपाल** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। **लोक अभियोजक श्री शिवपूजन सिंह** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही **कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी अर्चना रानी व आरक्षी अमित राजपूत तथा पैरोकार आरक्षी चक्रधारी** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **सनी निषाद पुत्र कृष्णा केवट निवासी लमहेटा थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर।**